

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रेषित,

डा० रुक्शाना परवीन,
चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), स्त्री रोग एवं प्रसव,
सदर अस्पताल, गोपालगंज।

पटना, दिनांक- / /2025

विषय :- स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।
महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1237/सी०, दिनांक- 19.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के द्वारा दिनांक-04.02.2025 को सदर अस्पताल, गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के उपरान्त समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-01.02.2025 को आरती देवी नाम की मरीज को सदर अस्पताल, गोपालगंज में भर्ती कराया गया। स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में रोस्टर के अनुसार डा० रुक्शाना परवीन ऑन ड्यूटी थी, परन्तु वे अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, जिसके कारण मरीज आरती देवी को आपातकालीन वार्ड में भेजा गया, जहाँ ईलाज के क्रम में मरीज का देहांत हो गया। उक्त कृत्य से परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती जा रही है, जो अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। उक्त कृत्य के कारण जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा आपके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः निदेशित है कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

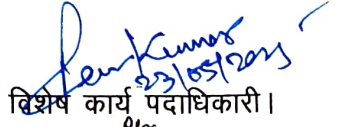
ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-01-64/2023- 519(17) /पटना, दिनांक :- 23/05/2025
प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, गोपालगंज/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित है कि संबंधित चिकित्सक से पत्र का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।